Seventeenth Loksabha

>

Title: Need to frame stringent laws to curb content in films and social media platforms-laid.

श्रीमती केशरी देवी पटेल (फूलपुर): देश के सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक समरसता के संस्कारों को संजोने की पहल में मेरा निवेदन है कि सम्प्रेषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संदर्भित सभी विधाओं में धार्मिक और सम्प्रदाय के महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों, आराध्य चरित्रों आदि को लेकर फिल्म, मीडिया, सोशल मीडिया, मनोरंजन (वेब सीरीज) आदि के अनेक माध्यमों इत्यादि तथा देश की मूल विचारधारा के विपरीत संस्कारों के लोगों द्वारा जानबूझ कर धार्मिक चरित्रों को संदर्भित करके सम्प्रेषण और प्रस्तुतीकरण के सभी माध्यमों से देश के महत्वपूर्ण धार्मिक चरित्रों को अपमानित करने के उद्देश्य से उनके प्रति अपशब्दों, चित्रों एवं रेखांकन आदि के द्वारा भारतीय संस्कृति को अपमानित करने का एक दुष्प्रचार, षड्यंत्र, तथाकथित बुद्धिजीवियों द्वारा समाज में प्रस्तृत किया जा रहा है। इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मुझे नैतिक और जनप्रतिनिधि के रूप में आवश्यकता महसूस होती है।

मेरा विचार है कि इस संदर्भ में कठोर कानून के माध्यम से इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु नये कानूनी प्रावधानों की आवश्यकता है। ऐसा महसूस हो रहा है कि अब तक इस संबंध में बने हुए कानून पर्याप्त नहीं हैं, जिससे इस तरह की गतिविधियों पर रोक प्रभावी हो सके। मैं माननीय मंत्री जी से मांग करती हूँ कि जनभावनाओं को समझते हुए उक्त संदर्भ में कठोर कानून बनाकर अपेक्षित कार्रवाई करने की कृपा की जाए।